मुंबई में 26/11 हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

मुंबई, 26 नवंबर. मुंबई में 26/11 हमलों में मारे गए और घायल हुए लोगों के सम्मान में बुधवार को राज्य-स्तरीय समारोहों का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दक्षिण मुंबई स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित किया. उनके साथ उप- मुख्यमंत्री अजीत पवार, राज्य मंत्री आशीष शेलार, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती भी मौजूद थे.

हमलों में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों ने भी समारोह में भाग लिया और स्मारक पट्टिका के सामने मौन श्रद्धांजलि अर्पित की. पुलिस दल ने भी शहीदों को सलामी दी. इस कार्यक्रम में हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर सहित उन अधिकारियों के योगदान को याद किया गया, जो 26 नवंबर, 2008 को कामा और अल्बलेस अस्पताल के पास तीन कांस्टेबलों के साथ मारे गए थे. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के 26 स्पेशल कमांडो समूह ने गेटवे ऑफ इंडिया पर ताज महल पैलेस होटल के सामने एक श्रद्धांजलि और शपथ समारोह आयोजित किया. नेवर एवर थीम वाले इस कार्यक्रम में जान गंवाने वालों को सम्मानित किया गया और घायल लोगों व पीड़ितों को भी याद किया गया. समारोह में एक मेमोरियल जोन बनाया गया, जिसमें मृतकों की तस्वीरें और नाम प्रदर्शित किए गए. साथ ही, फूलों से श्रद्धांजलि दी गयी और मोमबत्तियाँ भी जलाई गईं. इन मोमबत्तियों के मोम को भविष्य के समारोहों के लिए जीवंत स्मारक बनाने हेतु संरक्षित किया जाएगा.

फ्रांस के राजदूत ने भी मुंबई हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी - भारत में फ्रांस के राजदूत थिएरी माथौ ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की सत्रहवीं बरसी पर शहीदों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने की फ्रांस की प्रतिबद्धता को दोहराया. फ्रांसीसी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक बयान में कहा, मुंबई हमले 26/11, इन भयानक हमलों के 17 साल पूरे होने पर, फ्रांस पीड़ितों की यादों का सम्मान करता है.

26/11 के निशान आतंक के खिलाफ लड़ाई को दे रहे हैं दिशा

भारत के इतिहास के सबसे भयावह आतंकवादी हमलों में से एक 26/11 मुंबई हमलों को हुए सत्रह साल बीत गए. इतने दिनों बाद मुंबई आज भी उस भयानक रात को याद कर सहम जाता है जब 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मिलकर शहर को निशाना बनाया था चार दिनों तक चले इस आतंकी इस हमले में में 166 लोग मारे गये और 300 से अधिक घायल हुए. 26/11 हमलों के बाद भारत ने भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए.

सबसे भयावह आतंकवादी घटना थी 26/11 के मुंबई हमले

भारत के इतिहास में दर्ज सबसे भयावह आतंकवादी घटनाओं में से एक 26/11 मुंबई हमले को सत्रह साल पूरे हो गए. इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने 2008 के इस कायराना हमले में शहीद हुए लोगों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है - 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सभी लोगों को मेरी श्रद्धांजलि. हम अपने पुलिस और सुरक्षा बलों के असाधारण साहस को नमन करते हैं जिन्होंने अटूट संकल्प के साथ आतंकवाद का सामना किया. उनका बलिदान हर प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई को और मज़बूत करता रहेगा.

गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है वर्ष 2008 में आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई पर कायराना हमला कर वीभत्स और अमानवीय कृत्य किया. मुंबई आतंकी हमलों का डटकर सामना करते हुए अपना बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूँ और इस कायराना हमले में अपनी जान गँवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है.

राष्ट्र उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा-योगी - उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इस हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है. श्री योगी ने कहा है कि देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, मुंबई में 26/11 के कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में बलिदान हुए सभी निर्दोष नागरिकों और वीर सुरक्षाकर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि. उन्होंने कहा है कि राष्ट्र उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा.

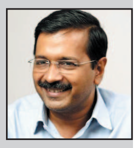

उस काले दिन हमने अपने कई निर्दोष नागरिक खोए- केजरीवाल दिल्ली के पुर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले को याद

कमला पसंद के मालिक की बहू ने की आत्महत्या

नयी दिल्ली. कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने मंगलवार शाम को दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, उन्हें एक डायरी के साथ एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें महिला (40) ने अपने पति हरप्रीत चौरसिया के साथ लगातार वैवाहिक कलह का उल्लेख किया है। इस बीच जानकारी मिली है कि पीड़िता का परिवार आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए शिकायत दर्ज करवाने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मृतक ने 2010 में श्री चौरसिया से शादी की थी और उनका 14 साल का एक बेटा है।

नाइजीरिया में अगवा हुई सभी छात्राएं सकुशल रिहा

अबुजा, 26 नवम्बर. नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनुबु ने अगवा की गई 24 छात्राओं के सकुशल रिहा होने की पुष्टि की है। इन लड़कियों को संदिग्ध आतंकी गत 17 नवंबर को एक सरकारी स्कूल के छात्रावास से अपहरण करके ले गए थे।

राष्ट्रपति टिनुबु ने देर रात जारी बयान में कहा, मुझे राहत है कि सभी 24 छात्राओं को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। सरकारी अधिकारियों ने भी बताया कि सभी लड़कियां स्वस्थ हैं और उन्हें जल्द ही उनके परिवारों से मिलवाया जायेगा।

> अधिकारियों के अनुसार, इस स्कूल पर धावा बोलने वाले हमलावरों ने दो कर्मचारियों की हत्या कर दी थी और इन छात्राओं को साथ ले गए थे। छात्राओं की रिहाई कैसे हुई, इसका खुलासा नहीं किया गया है। राष्ट्रपति ने सुरक्षा बलों की तेज कार्रवाई की सराहना भी की। इस अपहरण के बाद पिछले सप्ताह देश के मध्य हिस्से में कई इसी तरह की घटनाएँ सामने आई थीं। इनमें एक चर्च से 38 श्रद्धालुओं का अपहरण और नाइजर देश के एक विद्यालय से 300 से अधिक विद्यार्थियों का अपहरण भी शामिल है।

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 साल की सजा

ब्रासीलिया, 26 नवंबर. ब्राजील सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एलेक्ज़ेंडर डी मोसियस ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और उनके छह करीबी सहयोगियों को तख्तापलट की कोशिश मामले में दोषी पाये जाने पर 27 साल की जेल की सजा काटने का आदेश दिया है।

मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट में न्यायमूर्ति मोराएस के हवाले से कहा गया मैं जेयर बोल्सोनारो की सजा तुरंत शुरू करने का आदेश देता हूं। यह सजा 27 साल और तीन महीने की होगी, जिसमें 24 साल और नौ महीने पूर्ण रूप से बंद जेल में तथा शेष दो साल और छह महीने अर्ध-हिरासत में काटने होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, मुकदमा वर्चुअल तरीके से चला और न्यायमूर्ति मोराएस ने घोषणा की कि यह अब अंतिम रूप से पूरा हो चुका है, क्योंकि बोल्सोनारो के बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने सोमवार को निर्धारित अंतिम तारीख तक कोई नयी अपील दाखिल नहीं की थी।

भारत ने राम मंदिर पर पाकिस्तान की टिप्पणी खारिज की

नयी दिल्ली. भारत ने अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वज स्थापना के बारे में पाकिस्तान की टिप्णाी को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अल्पसंख्यकों के साथ बुरे बर्ताव का रिकार्ड जग जाहिर है और ऐसे में उसे भारत को नैतिक उपदेश देने का अधिकार नहीं है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को यहां मीडिया ब्रीफिंग में सवालों के जवाब में कहा , हमने पाकिस्तान की टिप्पणी देखी है और हम उसे उसी अवमानना के साथ खारिज करते हैं जिसके वे हकदार हैं।

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
VASTU HOUSING FINANCE
यूनिट 203 और 204, द्वितीय तल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवरी (पश्चिम), मुंबई 400015. महाराष्ट्र। सीआईएन नं.: U65922MH2005PLC272501

कब्जा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग नोटिस जारी करता हूँ जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 9 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित संपत्ति का कब्जा नीचे उल्लिखित तिथि को ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा द्वारा नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगा।

स. क्रं.	उधारकर्ता का नाम, सह-उधारकर्ता और LAN नंबर	मांग नोटिस की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि और प्रकार
1	महेश कुमार राजपूत, हेमलता, काशी बाई, नम्रता राजपूत, नितेश कुमार राजपूत LP0000000102806	18/जुलाई/25 रु. 5261833 09/जुलाई/25 तक	मकान/प्लॉट क्रमांक 71, आदर्श मेघदूत नगर, इंदौर (मध्य प्रदेश) कुल क्षेत्रफल: 1200 वर्ग फुट (111.52 वर्ग मीटर)। उत्तर: मकान क्रमांक 70, दक्षिण: मकान क्रमांक 72, पूर्व: सड़क, पश्चिम: पिछली गली	प्रतीकात्मक कब्जा 22/नवंबर/25 को लिया गया

दिनांक : 27.11.2025
स्थान : इन्दौर
अधिकृत अधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जनता है हमारी सबसे बड़ी ताकत : केजरीवाल

- वॉलंटियर्स की तपस्या से खड़ी हुई आम आदमी पार्टी
- राजनीति ईमानदारी से भी हो सकती है : केजरीवाल

नई दिल्ली, 26 नवंबर. आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक भावुक और प्रेरक संदेश साझा किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह दिन सिर्फ एक राजनीतिक दल की यात्रा का पड़ाव नहीं, बल्कि उन लाखों भारतीयों के सपनों और संघर्षों का प्रतीक है, जिन्होंने विश्वास किया कि राजनीति को बदला जा सकता है।

केजरीवाल ने पार्टी के वॉलंटियर्स, समर्थकों, और उन आम नागरिकों को नमन किया जिन्होंने चौपालों से लेकर संसद तक ईमानदार राजनीति की लौ को जलाए रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी की हर उपलब्धि जनता के भरोसे और कार्यकर्ताओं की तपस्या से संभव हुई है। अपने संदेश में केजरीवाल ने यह भी दोहराया कि किसी नेता की पार्टी नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की पार्टी है जो बदलाव चाहता है।

राज्य में तीन दिनों तक छाया रहेगा कोहरा

पटना. राज्य में तापमान में कोई बड़ा बदलाव फिलहाल नहीं दिख रहा है और ठंड की स्थिति यथावत बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी तीन दिनों के दौरान राज्य के कई इलाकों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर तक का कोहरा छा सकता है।

विशेष रूप से गंगा किनारे बसे क्षेत्रों में देर तक धुंध बने रहने के आसार जताये गये हैं, जिससे सुबह की दृश्यता प्रभावित हो सकती है। विभाग ने बताया है कि इस दौरान मौसम में किसी प्रकार के बड़े उतार- चढ़ाव की संभावना नहीं है। पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी पांच दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है।

यानी फिलहाल राज्य में ठंड की मौजूदा स्थिति जैसी है, वैसी ही बनी रहने वाली है। मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि सुबह के समय वाहन चलाते समय सतर्क रहें।

CENTRUM Home Loans
Aao milkar ghar banaye
कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826
सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। कार्यालय क्रमांक 215, दूसरी मंजिल, बेंचमार्क, सत्यसाई चौराहा, विजय नगर, इंदौर - 452010, मध्य प्रदेश

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें] और 9(1) नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत उधारकर्ता/ऋणकताओं से देय राशि की वसूली हेतु नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की खरीद के लिए सीलबंद लिफाफों में 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है' के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

स. क्रं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/ऋण खाता संख्या/ शाखा	आज तक कुल बकाया	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना राशि जमा राशि (EMD) 10%
1	उमेश पाटीदार रचना पाटीदार ऋण खाता संख्या IDRID17000971	रु. 8,95,047/- (आठ लाख पिनच्यानवे हजार सैंतालीस मात्र) पूर्ण भुगतान तक अतिरिक्त ब्याज के साथ 19-02-2023 तक	अधिकार, अचल संपत्ति का टुकड़ा और पार्सल प्लॉट नंबर 71 "पर शगुन सिटी", प्रवेश 1140 वर्ग फीट, भूमि जिसका सर्वेक्षण क्रमांक 305/3,199/2,304, 305/2 है, ग्राम मानपुर, तहसील महू, जिला इंदौर-453331, मध्य प्रदेश में। सीमाएं:- पूर्वः प्लॉट नंबर 72, पश्चिमः सड़क, उत्तरः सड़क, दक्षिणः प्लॉट नंबर 70	रु. 10,10,000/- (दस लाख दस हजार मात्र)	रु. 1,01,000/- (एक लाख एक हजार मात्र)

1. नीलामी "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" के आधार पर आयोजित की जा रही है। 2. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित निविदा फॉर्म में शामिल हैं, जो उपर्युक्त शाखा कार्यालय में उपलब्ध है। 3. 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय ईएमडी के साथ निर्धारित निविदा फॉर्म में सीलबंद बोली / प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि। KYC के साथ ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर 06.01.2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक है। जो निविदाएं पूरी तरह से नहीं भरी गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुई निविदाओं को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार खारिज कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 05.01.2026 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक है संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव नीलामी तिथि 07.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक है। 6. क्रेता को लागू स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। और नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में सभी वैधानिक बकाया, कर, दर मूल्यांकन, सरकारी और अर्ध सरकारी कर, टीडीएस और अन्य शुल्क, फीस आदि भी। ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्ति का कब्जा सीएचएफएल के पास है, जो उपरोक्त के अनुपालन पर सफल बोलीदाता को शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देगा। इच्छुक बोलीदाता को संपत्ति के एन्कम्ब्रेन्स टाइटल के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और खुद का निरीक्षण और संतुष्टि भी करनी चाहिए। 7. संपत्तियों को उनके नाम पर स्थानांतरित करने के लिए अन्य सभी खर्च और वैधानिक बकाया, यदि कोई हो, सफल खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा। 8. उच्चतम बोली लगाने वाला सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त सभी प्रस्ताव/बोली को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 9. उधारकर्ता/गारंटर को SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत 30 दिन की बिक्री सूचना दी जाती है। नीलामी की तिथि से पहले ऊपर बताई गई राशि का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर अचल संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी। यदि उधारकर्ता बिक्री की तिथि से पहले सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी रद्द कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए, ऊपर दिए गए कार्यालय पते पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। संपर्क व्यक्ति - 1. श्री अंकित विग - 8668943242। 2. श्री अजय उपाध्याय (8097567896)।

एसडी/-
स्थान: मध्यप्रदेश, दिनांक : 27.11.2025
अधिकृत अधिकारी सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)
पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बैंगलोर-560071।

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत बैंक को प्रभारित अचल परिसंपत्तियों की बिक्री।

जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति बेचने के लिए पहले ही कई सार्वजनिक नीलामी आयोजित की थीं, लेकिन वे असफल रहीं क्योंकि कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। अतः कृपया सूचित किया जाए कि यदि उपरोक्त ऋण खाते में कुल बकाया राशि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर चुकाई नहीं जाती है, तो प्राधिकृत अधिकारी नीचे बताए अनुसार संपत्ति की निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए आगे बढ़ेंगे। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति, बैंक के बकाया की वसूली के लिए बैंक द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार, निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:
1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है जैसी है" के आधार पर होगी।
2. क्रेता को इस सूचना के प्रकाशन की समाप्ति पर बिक्री मूल्य का 100% जमा करना होगा।
3. बैंक द्वारा क्रय प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, निर्धारित समय के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
4. क्रेता को संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं की अपनी संतुष्टि के अनुसार उचित जांच करनी चाहिए। क्रेता बाद में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के विरुद्ध कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
5. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी क्रय प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क, सोसायटी शुल्क वहन करना होगा।
7. बिक्री SARFAESI अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का नाम	13(2) मांग सूचना के अनुसार राशि SARFAESI अधिनियम के तहत।	ऋण खाता संख्या
1	45579420000984 45579420001069 45579410001132	1) दूले सिंह, पुत्र. प्रह्लाद सिंह, 2) श्रीमती धापू बाई सिसौदिया, पत्नि दुले सिंह	रू. 13,81,868.57 (तेरह लाख इक्यासी हजार आठ सौ अड़सठ और सत्तावन पैसे मात्र) 05.11.2024 तक	रु. 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र)
	सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः भूखंड संख्या 203 का दक्षिणी भाग, कुल क्षेत्रफल 350 वर्ग फुट (32.52 वर्ग मीटर), भूमि का वह भाग सर्वे क्रमांक 137/1/3 और 150/3/2, ग्राम पंवासा, मक्सी रोड, उज्जैन तहसील और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) में स्थित है। पूर्व में कॉलोनी रोड, पश्चिम में भूखंड संख्या 184 और 185, उत्तर में भूखंड संख्या 203 का शेष भाग और दक्षिण में भूखंड संख्या 202 से घिरा है।			

उपर्युक्त उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का ध्यान SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से पहले बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों सहित उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।
पत्राचार पताः श्री रंजन नाइक (मोबाइल नंबर 6362951653) और ईमेलः ranjan.naik@janabank.com जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, (पूर्व में मेसर्स जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), जिसका शाखा कार्यालय प्लॉट नंबर 306ए, स्कीम नंबर 54, पीयू-4, कंट्री इन होटल के पास, मेन एबी रोड, विजय नगर, इंदौर - 452001 में स्थित है।

दिनांकः 27.11.2025, स्थानः इंदौर
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड

आज का इतिहास

1001 -गजनी के सुल्तान महमूद के साथ हुई लड़ाई में जयपाल की हार।
1795 - एक बांग्ला नाटक का कलकत्ता के एजरा स्ट्रीट में स्टेज पर पहली बार सार्वजनिक मंचन किया गया।
1881- प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल का जन्म हुआ था।
1940 - ब्रूस ली का जन्म। सान फ्रांसिस्को में जन्मे और हॉन्गकॉन्ग में पले बढ़े ब्रूस को मार्शल आर्ट में महारत हासिल थी और उन्होंने 70 के दशक में

Land for Sale at Kaanha (M.P.)
Clear title land for sale in Kaanha. Ideal for farmhouse and residential plotting. Contact 9074747174 / 9072311440 for further details.

यूको बैंक UCO BANK
(A Government of India Undertaking)
आंचलिक कार्यालय, 380-381, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.)
फोन: 0731-2438331, 2438305
फैक्स: 2438304, email: zo.indore@ucobank.co.in
अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना
ई-नीलामी दिनांक 30.12.2025

(सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत)
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अर्न्तगत
सम्पत्ति के विक्रय की सार्वजनिक सूचना ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 29.12.2025 को सायंकाल 4 बजे तक या उसके पूर्व अचल सम्पत्ति की बिक्री जो बैंक के पास बंधक है
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002

जबकि **यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा धारा 13 (2) व सिक्युरिटायजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अर्न्तगत सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया है। बैंक कि बकाया राशि ब्याज सहित हेतु निम्न सम्पत्तियों को **जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है, जो कुछ भी है, बिना संसाधन** के आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणी द्वारा बैंक का बकाया मय ब्याज के चूकाने मे असफल होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम 13 (4) के अर्न्तगत सम्पत्ति की ई-नीलामी वेबसाइट द्वारा की जानी है।

क्रं.	शाखा	ऋणियों के नाम	ऋणी के खाते में बकाया राशि (₹)	सूचना दिनांक एवं आधिपत्य दिनांक	स्वायत्त शासी संस्थाओं का बकाया	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य यथा बयाना राशि	ईएमडी खाता क्रं., शाखा एवं आईएफएससी कोड क्रं.	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	ग्राम पिपलियाहाना शाखा, इन्दौर	श्रीमती स्वाती शर्मा	19,59,497.89 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	16.06.25 08.09.25	पता नहीं	111, सनराईज टॉवर, पहली मंजिल, प्लाट नं. 579, एम.जी. रोड, वार्ड नं. 55, इन्दौर 452001 पर स्थित व्यवसायिक संपत्ति फ्लेट का साम्यिक बंधक, **सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल 410 वर्गफीट, मालिक: श्रीमती स्वाती शर्मा**, रजिस्टर्ड वाईड सेल डीड MP179132018A1588906 दिनांक 23.08.2018, सब रजिस्ट्रार ऑफिस इन्दौर, **चतुं:सीमा: पूर्व:** श्री भाटिया का मकान, **पश्चिम:** कोरिडोर, **उत्तर:** फ्लेट नं. 112, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 110	रु. 34.29 लाख रु. 3,42,900	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	30.12.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
2.	खण्डवा शाखा	मेसर्स अनील होजयरी, प्रो.: श्री अनील कुमार अरतानी	4,51,280.54 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	23.10.24 06.01.25	पता नहीं	दुकान नं. एलजी-06, नीचली तल मंजिल, मधुसुदन टॉवर (वार्ड नं. 18, रामगंज वार्ड, विनायकराव जोशी गली), ब्लॉक नं. 43, प्लाट नं. 251, खण्डवा (म.प्र.), क्षेत्रफल: 120 वर्गफीट, **चतुं:सीमा: उत्तर:** दुकान नं. 7, **दक्षिण:** 8 फीट चौड़ा कॉमन पेसेज, **पूर्व:** दुका नं. 05, **पश्चिम:** भारत जैन का बाड़ा	रु. 19.44 लाख रु. 1,94,400	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	30.12.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)

आनलाईन निविदा/नीलामी की नियम व शर्तें: (1) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें (बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी)। **(2)** इच्छुक बोलीदाता के पास एक स्वयं की वैध सक्रिय ई-मेल आईडी और पैन होना चाहिए। **(3)** अपसेट प्राईस/रिजर्व प्राईस की 10% (ईएमडी राशि) राशि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बनाये गये वर्चुअल वॉलेट मे भेजी जाना चाहिये और बकाया राशि निविदा फार्म मे स्पष्ट रुप से दर्शाई जाना चाहिए। **(4)** अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण अधिकार है की वह बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताएं किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थगित/रद्द करने का बिक्री की किसी भी नियम व शर्तों को बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार है। **(5)** बिक्री सरफेसी संशोधित अधिनियम/नियम 2002 और शर्तों मे निर्धारित शर्तों के अधीन है। **(6)** बैंक द्वारा निविदा प्रस्ताव स्वीकार्य करने के उपरांत 25% प्रतिशत राशि (प्राथमिक राशि ईमएडी सहित) उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक बैंक के **खाता संख्या 22830210001462, यूको बैंक, आनंद बाजार शाखा, आईएफएससी कोड UCBA0002283** के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांन्सफर द्वारा जमा करनी होगी। **(7)** सफल बोलीकर्ता को अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने के 15 दिनो के भीतर बिड की बकाया राशि जमा कराना होगी यदि सफल बोलीकर्ता अपनी बकाया राशि उस अवधि के भीतर जमा करने में विफल होता है तो उस परिस्थिति में सम्पत्ति का पून: विक्रय किया जावेगा। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा कि गई राशि जब्त कर ली जावेगी। इसके अतिरिक्त उसे सम्पत्ति पर या उस सम्पत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा जिसे फिर से बेची गई है। **(8)** सम्पत्ति का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर **दिनांक 26.12.2025 को प्रात: 10.00 बजे से सांयकाल 4.00 बजे** के बीच किया जा सकता है। सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य जानकारी या विवरण के लिए **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 0731-2438331, 2438305** से संपर्क किया जा सकता है। **(9)** यदि बिक्री 30 (तीस) दीनों की अवधि के लिये स्थगित की जाती है तो बिक्री की कोई नई शर्तें नहीं होगी। **(10)** बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने के पूर्व सेवा प्रदाता के पोर्टल/वेबसाइट (अर्थात, **https://baanknet.com**) पर जाने की सलाह दी जाती है। नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सभी बोलीकर्ताओं को बिक्री के नियम व शर्तों को ठीक तरह से पढ़ने व समझने की सलाह दी जाती है। नीलामी सुरक्षित लेनदार बैंक की पुष्टि के अधिन है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्द में लिखित अखबार को मान्य किया जायेगा।

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 27.11.2025
प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक